प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 12.11.2026**

- **थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए अपहृता को मात्र 06 घंटे के अंदर सकुशल बरामद किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, आज दिनांक 12.11.2026 को वादी की नाबालिग पुत्री को ग्राम बैरी सवाई के अभियुक्त द्वारा दिनांक 11.11.2026 को बहला-फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 376/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम इमरान उर्फ छोटू पुत्र आजाद निवासी ग्राम बैरी सवाई थाना शिवली जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया। थाना पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को आज दिनांक 12.11.2026 को थाना क्षेत्र अन्तर्गत शेखूपुर तिराहे के पास से सकुशल बरामद किया गया। अपहर्ता को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु मेडिकल परीक्षण हेतु वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। विवेचना के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 अमरेन्द्र बहादुर सिंह
2. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार मिश्र
3. का0 333 अरुण कुमार
4. म0का0 1473 ज्योती राजपूत